आदेश

13.5.19 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित थे। बहस सुनी। पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थी० के जवाब एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछित अनुतोष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।

प्रार्थी द्वारा मुख्य अनुतोष चाहा है, कि नक्शे में जिस स्थान पर खसरा नम्बर 379 है, उस स्थान पर प्रार्थी काबिज है, तथा 380 के स्थान पर अप्रार्थी नं० एक काबिज है, तदनुरूप नक्शा एवं रिकार्ड दुरुस्त कर दिया जावे। इस हेतु प्रार्थी ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 के साबिक अर्थात भू-प्रबंध से पूर्व के खाते की नकलें, मिलान क्षेत्रफल, साबिक एवं हाल खसरा नम्बरों के नक्शे की नकल पेश की है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 1 के खाते में साबिक खसरा नम्बर 273 का हिस्सा दर्ज था परन्तु नक्शे में कोई तरमीम नहीं हो रही है। इस कारण प्रमाणिक तौर

13/5/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर यह नहीं कहा जा सकता कि बंदोबस्त से पूर्व प्रार्थी साबिक खसरा नम्बर 273 के पूर्वी हिस्से पर ही काबिज था या उसके द्वारा उक्त हिस्सा का रकबा ही क्रय किया था आदि।	
	हालांकि अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है, किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात से यह प्रमाणित नहीं होता है, कि दौराने बन्दोबस्त या बाद बन्दोबस्त महकमा बंदोबस्त या राजस्व अहलकारान द्वारा प्रार्थी के हितों के विपरीत राजस्व अभिलेख आदि में ऐसी त्रुटि कारित की गई हो, जिसे धारा 136 L.R.Act 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दुरुस्त किया जा सके।	
	धारा 136 L.R. Act के अन्तर्गत मात्र लेखकीय त्रुटियों को ही दुरुस्त किया जा सकता है। प्रकरण में लेखकीय त्रुटि कारित होना प्रमाणित नहीं है।	
	अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा 136 L.R.Act के तहत पोषणीय नहीं पाया जाता है।	
	अतः प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। वांछित अनुतोष हेतु वादी/प्रार्थी घोषणात्मक वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० द० हो। निर्णय आज दि० 13.5.19 को सरे इजलास सुनाया गया।	
	13/5/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner